<u>कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन</u>
<u>उ0प्र0, लखनऊ</u>

संख्या–एम0ई0–3/2024/**1510 (1)** लखनऊःदिनांक 29 जुलाई,2024

<u>यू0पी0 नीट एम0डी0एस0–2024 के अन्तर्गत द्वितीय चक की ऑन लाईन कांउसिलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश</u>

1. द्वितीय चक की कांउसिलिंग में सीटों का आवंटन द्वितीय चक चक की मेरिट सूची के आधार पर होगा।
2. द्वितीय चक की कांउसिलिंग में च्वाईस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को प्रथम चक की वैकेन्ट/नॉट रिपोर्टेड (Not reported) एवं रिजाईन (Resign) सीटें Clear-cut Vacancy के तौर पर प्रदर्शित की जायेगी। उक्त वैकेन्सी के अतिरिक्त Seat Against Cancellation (SAC) का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। SAC सीटें एक प्रकार की Virtual vacancies है, जो कि पूर्व से प्रवेशित अभ्यर्थी की सीट यदि अपग्रेड होती है, तो उसकी सीट नियमानुसार मेरिट कम विकल्प के आधार पर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी।
3. **अभ्यर्थी द्वारा च्वाईस फिलिंग के उपरान्त च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है, च्वाईस लॉक न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को सीट आवंटन की प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।**
4. प्रथम चक की काउंसिलिंग से अनावंटित तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को द्वितीय चक की कांउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
5. प्रथम चक की कांउसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रवेश न लेने अथवा प्रवेशोपरान्त त्याग–पत्र देने के पश्चात् अभ्यर्थियों को Free Exit की व्यवस्था निर्धारित है, अतः ऐसे अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक की कांउसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते है तो, उन्हे पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नही है।
6. राजकीय तथा निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों हेतु द्वितीय चक की कांउसिलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चक की कांउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात् ही अर्ह होगें।
7. राजकीय तथा निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम चक की कांउसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक की कांउसिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नही लेते है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

   ऐसे अभ्यर्थियों के लिये, राजकीय क्षेत्र के डेण्टल कालेजों हेतु, प्रवेश शुल्क को छोडकर तत्समय जमा समस्त शुल्क एवं निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों हेतु उसके द्वारा तत्समय जमा शिक्षण शुल्क वापस कर दिया जायेगा।
8. अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन हेतु दिये गये विकल्प के अनुसार यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है, तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी। पुनरावंटन न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व प्रवेशित सीट यथावत् बनी रहेगी।
9. ***अभ्यर्थी द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये कि पुनरावंटन हेतु पूर्व से प्रवेशित सीट का विकल्प छोडकर ही अन्य विकल्प/च्वाईस भरी जाये, अन्यथा की स्थिति में यदि पूर्व प्रवेशित सीट पुनः आवंटित हो जाती है, तो अभ्यर्थी को नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर पूर्व की भांति ही प्रवेश प्रकिया पूर्ण करनी होगी।***
10. द्वितीय चक की कांउसिलिंग से आवंटन के पश्चात् राजकीय क्षेत्र के कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को संबंधित डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्र के कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को संबंधित नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रकिया पूर्ण करानी होगी।

11. निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (Director General Medical Education & Training U.P payabe at Lucknow)** के पक्ष में निर्गत हो, संबंधित नोडल सेन्टर पर जमा कराया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं का फी–स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट ***https://upneet.gov.in*** एवं ***www.dgme.up.gov.in*** पर उपलब्ध है।
12. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।
13. द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से आवंटन/पुनरावंटन प्राप्त होने के फलस्वरूप संबंधित नोडल सेन्टर पर प्रवेश प्रकिया पूर्ण करने के पश्चात् समस्त अभ्यर्थी संबंधित डेण्टल कालेज में रिपोर्ट करेंगें।
14. नीट पी0जी0 2024 हेतु नीति निर्धारण विषयक निर्गत शासनादेश दिनांक 09 जुलाई 2024 एवं ब्रोशर में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही समस्त चक्रों की कांउसिलिंग प्रकिया सम्पन्न करायी जायेगी। अतएव कांउसिलिंग प्रकिया में प्रतिभाग करने से पूर्व शासनादेश एवं ब्रोशर का स्वयं अवलोकन करें।
15. नीट एम0डी0एस0–2024 कांउसिलिंग संबंधी समस्त अद्यतन सूचनाओं के लिये विभागीय वेबसाइट ***https://upneet.gov.in*** एवं ***www.dgme.up.gov.in*** पर निरन्तर अवलोकन करते रहें।

कृते महानिदेशक